उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्याः 1428 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों के दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से वेतनमान एवं भत्ते पुनरीक्षित किये जाने एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किये जाने विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1303–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017 दिनाँक 01.09.2017 के अनुक्रम में उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1061–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2017 दिनाँक 19.09.2017 की अनुरूपता में वेतन निर्धारण एवं अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेशित किया जाता है :–

(i) उपरोक्त निगम आदेश दिनाँक 01.09.2017 में यथा प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार वेतन निर्धारण एवं अवशेष का भुगतान सम्बन्धित लेखा कार्यालयों/वेतन एवं लेखा से विधीक्षा के उपरान्त ही किया जायेगा।

(ii) दिनाँक 01.09.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में अभिदान बन्द हो चुके होने के फलस्वरूप, सम्बन्धित कार्मिकों को वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों का भुगतान (यथा प्रस्तर–10 के अनुसार देय माह में) सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा न कराकर, आयकर धनराशि की कटौती के अधीन, नकद अनुमन्य कराया जायेगा।

(iii) दिनाँक 01.09.2017 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में, जिनकी सेवानिवृत्त की तिथि अक्टूबर–2017, अक्टूबर–2018, अक्टूबर–2019 एवं अक्टूबर–2020 से पूर्व क्रमशः छः माह अथवा उससे कम है, उन्हें तद्नुसार यथा देय अवशेषों की किश्तों का भुगतान (यथा प्रस्तर–10 के अनुसार देय माह में) सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा न कराकर, आयकर धनराशि की कटौती के अधीन, नकद अनुमन्य कराया जायेगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

सं0 1428–(1)–मा0सं0–(04)/उ0नि0लि0/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. सलाहकार, सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

26/9/17

शेष पृष्ठ–2 पर ....

5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
6. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/जानपद–नवपरियोजनायें/ईंधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक,(प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/06/04/05)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
12. उप सचिव (मा0सं0–01/06/03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/06/02/04/रिफार्म) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
17. कट फाइल।

आज्ञा से,

Manoj Kumar 26/9/17

(मनोज कुमार सक्सेना)

उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–04)